

[Secretary-general]

(No.4) Bill, 2020, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 18th September, 2020.

2. The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

Sir I lay a copy each of the Bills on the Table.

STATUTORY RESOLUTION AND GOVERNMENT BILLS
STATUTORY RESOLUTION DISAPPROVING THE EPIDEMIC DISEASES
(AMENDMENT) ORDINANCE, 2020 (NO. 5 OF 2020);
AND
THE EPIDEMIC DISEASES (AMENDMENT) BILL, 2020 - Contd.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Hon. Deputy Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity. I will try to be quick. Firstly, I welcome this Bill. This is an important Bill which goes towards ensuring and safeguarding our warriors, people who have been on the forefront in the fight against Covid and all the safeguards necessary for them needs to be done by the country. I am with them. There are certain suggestions and I will quickly pass on. Number one, in terms of the Bill on epidemic, neither in the Bill nor in the original Bill is there any reference to the definition of epidemic. It just says 'serious epidemic'. Now, obviously there can be a medical term to that term 'epidemic', but when you have an open-ended epidemic term, it can also mean a lot. So, I think it would be nice going forward if we can really define epidemic within the Bill and the body of the Bill. Secondly, in terms of 'health care service personnel', that has been defined under Clause 3 (b) of the Bill, where it says, there are people who are public and clinical health care workers, doctors, nurses, paramedical staff, community health workers. It does not specify -- even though it talks about it in sub-section (ii) -- anganwadi workers, ASHA workers, police personnel, sanitisation workers, fire-servicemen and even other people like the distribution people, logistic support who keep on transporting various medicines and various other utilities. That is not mentioned. It would be nice to include that. In terms of property which has been mentioned under Clause 3 (c), it specifically mentions what clinical establishment is, but it does not talk about Government infrastructure if destroyed during the containment zones. We have seen when containments have been locked down in various cities, it leads to certain amount of armed regression by the local population because of certain reasons. So, the

1.00 P.M.

loss to the Government infrastructure is not contained there. Probably, we could look at including that part. In Clause 4, it talks about the Central Government taking measures. There is no reference to the State Governments or any powers provided to the State Government. Sir, as we understand, whenever there is a lockdown or whenever there are search detentions, the State Government is the end agency which includes and undertakes these activities. I suggest to the hon. Minister that he may kindly re-look at it and include the role of the State Government as well in this Bill. In terms of Clause 5, again, it leaves out the Police personnel, the sanitation workers, *Panchayat* and urban ward workers who have been working day and night and have also suffered a lot of physical violence as well as mental onslaught by people there. I will quickly come to Clause 7 (3)(iv). In that, it says, every inquiry or trial of a case will be done expeditiously. My suggestion to the hon. Minister would be, for such cases where our Covid warriors have been affected there needs to be a fast track court. We cannot leave these cases where we need to have singular quick judicious decision taking place and therefore, my suggestion would be that a fast track court should be established to take care of this. Finally, I would like to recall my hon. leader, my Chief Minister, Shri Naveen Patnaikji. When the Covid fight started way back in March-April, he was one of the first Chief Ministers of the State who brought about punitive measures that would safeguard Covid warriors in the fight against Corona and anyone undertaking any violence against them were to be charged under the Criminal Procedure Code. So, I believe such visionary measures by the Union Ministry as well as by the hon. Health Minister is welcome and these suggestions, if taken, would go a long way in actually strengthening the process of safeguarding our Covid warriors. Thank you.

SHRIMATI JHARNADAS BAIDYA (Tripura): Sir, the battle against Covid is the battle of India and Indian people as a whole. United activity to prevent the spreading of Corona virus is the need of the hour. We offer our support to the Government on its measures in this regard. All of us together, cutting across political lines, will be able to effectively address the prevailing situation. The Constitution guaranteed the Fundamental Rights of equality, freedom of speech, equal access to public employment, expression and association, freedom of movement, the right to life. While we all would wish this threat to blow away with least damage, it is prudent to be prepared for the worst. In a situation of grave crisis, with lakhs of citizens infected and many fatalities,...

श्री उपसभापति: श्रीमती झरना जी, एक मिनट रुकिए ...(व्यवधान)... प्लीज़, एक मिनट रुकिए।...(व्यवधान)... Just wait for one minute.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, as per the schedule of the House, we have to adjourn at 1 o'clock. But, since we are discussing this Bill, I propose to extend the time of today's sitting till the Bill is passed. Thank you.

श्री उपसभापति: धन्यवाद, यह हाउस की आम सहमति है। माननीय चेयरमैन साहब ने भी यह कहा था। झरना जी, अब आप बोलिए।

SHRIMATI JHARNA DAS BAIDYA: The public health aspect apart, the true economic impact of such a global epidemic cannot even be imagined. Sir, we welcome any legal protection so necessary for our ASHA workers, nurses, doctors, police, health workers, etc., in the fight against the pandemic. Hence, Clauses 3(c) and 3(d) must be removed from the Ordinance itself.

श्री उपसभापति: झरना जी, कन्क्लूड करिए।

SHRIMATI JHARNA DAS BAIDYA: While the provision of 3(c) in the Ordinance deals with presumption of certain offences, 3(d) deals with presumption of culpable mental state. Thank you.

श्री पी.एल. पुनिया (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। सत्र शुरू होने के दूसरे ही दिन माननीय मंत्री जी ने 11 पेज की एक बहुत विस्तृत स्टेटमेंट भी जारी की थी और इस विषय पर अलग से भी चार घंटे की चर्चा हुई। सबने इस विषय में अपनी-अपनी बातें रखी हैं। यह ऑर्डिनेंस पास होगा, इसके बाद संशोधन बिल है। विशेष रूप से कोरोना वॉरियर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोरोना वॉरियर्स के ऊपर हमला होता है या उनकी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो दोषी व्यक्तियों को दंडित करने के लिए, कम्पेंसेशन के रूप में मार्केट रेट से डबल दाम दिलवाने का भी प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूँ कि यह सब उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए बहुत अनिवार्य था।

महोदय, कड़ा कानून तो बन गया, डॉक्टर्स और नर्सेज़ का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके ऊपर हेलिकॉप्टर से फूल भी बरसाए गए, बत्ती बुझा कर, मोमबत्ती एवं दीया जलाकर उनका सम्मान भी किया गया, यह सब अच्छा लगा। लेकिन क्या यह सही नहीं है कि ज्यादा अच्छा होता, चूंकि वे 24 घंटे काम कर रहे हैं, दिन-रात काम कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल कर काम

कर रहे हैं, तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनको कुछ अतिरिक्त वेतन दिया जाता, कुछ ओवरटाइम दिया जाता। इससे वास्तव में उनका मनोबल बढ़ता, लेकिन ऐसा करने के बजाय उल्टे उनकी तनखाह से dearness allowance काट लिया गया और एक दिन की तनखाह की कटौती कर ली गई। दिल्ली में तो डॉक्टर्स को तीन महीने की तनखाह समय पर नहीं मिली। क्या इससे मनोबल नहीं टूटता है? आईएमए की एक रिपोर्ट आई, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 382 डॉक्टर्स की कोरोना से डेथ हुई, दूसरी ओर सरकार कहती है कि हमारे पास कोई आंकड़े ही नहीं हैं, कोई जानकारी ही नहीं है। क्या सरकार यह कहना चाहती है कि किसी एक भी डॉक्टर की डेथ नहीं हुई? मैं यहां पूरे कोरोना वॉरियर्स की बात नहीं कर रहा, ये केवल डॉक्टर्स के आंकड़े हैं। उनको कम्पेंसेशन दिया जाना चाहिए था, आर्थिक मदद दी जानी चाहिए थी। मैं समझता हूं कि यह जो कानून बन रहा है, जिसे हम पास करने जा रहे हैं, इसी में इसका प्रावधान होना चाहिए था। उनको नुकसान पहुंचे, तो दोषी व्यक्ति को दंडित करने का प्रावधान तो है, सम्पत्ति को नुकसान पहुंचे, तो कम्पेंसेशन देने का प्रावधान, लेकिन अगर उनकी जान ही चली जाए, तो ऐसी स्थिति में उनको कम्पेंसेशन देने का आपने कोई प्रावधान नहीं रखा? यह कैसी विडम्बना है? मैं समझता हूं कि यह बहुत खेदजनक है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जो लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया, बगैर सोच-समझे किया गया। यह नहीं देखा गया कि इसका क्या प्रभाव होगा। लॉकडाउन में सभी इण्डस्ट्रीज़, सभी व्यवसाय बन्द करने के आदेश थे। ज़ाहिर है कि मज़दूरों की छुट्टी कर दी गई और जो मकान मालिक थे, किराया न मिलने की वज़ह से उन्होंने कहा कि घर खाली कर दीजिए। वे लोग कहां जाएंगे, क्या सरकार को इसका अनुमान नहीं लगाना चाहिए था? उन लोगों को उनके घर भेजने के लिए या और कोई व्यवस्था करने के लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए था। यहां कहा गया कि प्रधान मंत्री जी ने 15 बार चीफ मिनिस्टर्स के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। मैं पूछना चाहता हूं कि लॉकडाउन डिक्लेयर करने से पहले सरकार ने किससे चर्चा की? मैं समझता हूं कि किसी मिनिस्टर से भी चर्चा नहीं की होगी। जबकि होना यह चाहिए था कि आप चीफ मिनिस्टर्स के साथ चर्चा करते, सभी राजनीतिक दलों को बुलाकर उनसे चर्चा करते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यहां तो चलन ही दूसरा है, रात को आठ बजे घोषणा की जाएगी और फिर उसके बाद ...

श्री उपसभापति: माननीय पुनिया जी, आप कन्क्लूड कीजिए, आपका टाइम ऑलरेडी खत्म हो गया है।

श्री पी.एल.पुनिया: सर, मैं दो मिनट और लूंगा, मैं आपका आभारी रहूंगा। नोटबंदी में भी इसी तरह से हुआ, तब मिनिस्टर्स को भी जानकारी नहीं थी। भूखे-प्यासे करोड़ों मज़दूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया और उस पर भी सरकार कहती है कि हमारे पास आंकड़े नहीं हैं कि कितने लोगों की मौत हो गई है। यह कितनी विडम्बना है, यह देश इन ग़रीब लोगों को ...

श्री उपसभापति: धन्यवाद पुनिया जी, आपका टाइम खत्म हो गया है।

श्री पी.एल. पुनिया: दूसरी बात यह है कि चेतावनी दी गई थी, ऐसा नहीं है कि चेतावनी नहीं दी गई थी। 30 जनवरी को पहली घटना हुई और 12 जनवरी...

श्री उपसभापति: माननीय पुनिया जी, आप समय एक्सीड कर चुके हैं, कृपया खत्म कीजिए।

श्री पी.एल.पुनिया: सरकार को चिंता नहीं थी कि किस तरीके से एक भयावह स्थिति होने वाली है और 12 फरवरी के बाद...

श्री उपसभापति: धन्यवाद, मैं दूसरे स्पीकर को बुला रहा हूँ।

श्री पी.एल.पुनिया: सर, बस एक मिनट और लूंगा।

श्री उपसभापति: एक मिनट नहीं, आप ऑलरेडी टाइम क्रॉस कर चुके हैं।

श्री पी.एल. पुनिया: राज्य चूंकि इसे विशेष रूप से इम्प्लिमेंट कर रहे हैं। लोगों को सहायता देने के लिए कोरोना से फाइट करने की सीधी-सीधी लड़ाई राज्य कर रहे हैं। जीएसटी...

श्री उपसभापति: डा. अनिल जैन, आप बोलिये। अब पुनिया जी की कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी।

डा. अनिल जैन (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, आज इस महत्वपूर्ण बिल के सपोर्ट में बोलने के लिए मुझे मौका मिला है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जिस संवेदनशीलता के साथ इस बिल को लाये हैं, क्योंकि मैं पेशे से एक चिकित्सक हूँ और बहुत सारे मेरे चिकित्सक साथी देश और दुनिया में कोरोना से लड़ाई लड़ने में जूझ रहे हैं, तो इस बिल के प्रावधान के विषय में, जो 123 वर्षों के बाद संशोधन के साथ लाया गया है, 1920 में भी इसमें एक संशोधन था, जिसमें दण्डात्मक व्यवस्था की गई थी, जो बेलेबल थी, जिसका कोई खास डर किसी में नहीं था, लेकिन अभी जो व्यवस्था की गई है, इसमें ऐसे ऑफेन्स करने में जो लोग इस प्रकार की कार्रवाइयाँ करते हैं, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको इससे डर भी होगा, लेकिन इन सब प्रावधानों की चर्चा विस्तार में मेरे पूर्व वक्ताओं ने की है, मैं बहुत विस्तृत रूप से इसकी चर्चा नहीं करूंगा, समय की मर्यादा है और एक्स्ट्रा टाइम में हम लोग बात कर रहे हैं। इसलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि देश और दुनिया में जो इस तरह की महामारी है और इस महामारी के दौरान जिस प्रकार से इस देश के माननीय प्रधान मंत्री जी ने सूझ-बूझ के साथ सारी दुनिया के लिए exemplary निर्णय लिया, सारी दुनिया जिसकी तारीफ़ कर रही थी। उस संवेदनशील विषय पर हमारे कुछ साथियों ने इस ऐपिडेमिक एक्ट और अमेण्डमेन्ट के बारे में एक शब्द न कहकर केवल निन्दा-निन्दा के ही शब्द कहकर अपने वक्तव्य की पूर्ति की है। मुझे लगता है कि उनकी पार्टी के लोगों को, क्योंकि उनकी मेडन स्पीच थी, समझाना चाहिए कि एक्ट पर भी एकाध लाइन बोलते और डॉक्टर्स और कोरोना वॉरियर्स के बारे में बोलते। जिस प्रकार से प्रधान मंत्री जी ने 22 मार्च को देश में 'जनता कर्फ्यू' लागू किया, तब थाली और ताली के नाद से अगर कोरोना वॉरियर्स का

हौसला अफजाई करने के लिए और 130 करोड़ भारतवासियों को उनके साथ चलने के लिए आह्वान किया, जिसको देश में ही नहीं, दुनिया में सराहा गया, इससे कुछ लोगों को परेशानी होने लगी।
...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, please. ...(Interruptions)... Nothing else is going on record. ...(Interruptions)... माननीय सदस्य कृपया बीच में नहीं बोलें।

डा. अनिल जैन: कुछ लोगों ने इसको misunderstood किया। ...(व्यवधान)... कुछ लोगों ने, विपक्ष के हमारे कुछ मित्रों ने इसकी हँसी उड़ाने की कोशिश की और विपक्ष के बहुत से मूर्धन्य साथियों ने उसका ताली बजा कर स्वागत किया। ...(व्यवधान)... यह किसी ने नहीं कहा कि ताली और थाली से वायरस भाग जाएगा, लेकिन इसको इस तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश की गयी। देश में इन प्रतीकों के माध्यम से अगर हौसला अफजाई की गयी है, देश के नागरिकों को और स्वास्थ्यकर्मियों को साथ लिया गया है, तब इसकी तो सराहना की जानी चाहिए। इसी प्रकार दीपक जलाने को लेकर आपने बात कही। इसी प्रकार अगर सेना ने कोरोना वॉरियर्स पर पुष्प-वर्षा की है, तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? इस बात के लिए सराहना ही की जानी चाहिए। इस प्रकार का बिल लाकर सरकार ने जैसी संवेदनशीलता दिखायी है, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापति: धन्यवाद, अनिल जी। अब माननीय आनन्द शर्मा जी कुछ सुझाव देंगे।

श्री आनन्द शर्मा (हिमाचल प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को और सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। We have, as a nation, learnt a lot from the pandemic. This pandemic has challenged humankind as no other disease has in recent memory for more than a century. In the Epidemic Diseases Act, which is sought to be amended, it is a very short Amendment. Colleagues have spoken; I will not expand on it. Yes, the work that has been done by doctors and healthcare workers, whom we say 'the frontline warriors', is commendable. But, at the same time, that protection, though it was required, we need to expand it further to the areas beyond our doctors and healthcare workers, to all those who get exposed to the management. It is not confined to them alone. There are people in the Police, in the Defence Forces, there are personnels of various other services who are engaged in providing relief, managing the quarantine shelters, they should also be included in the expanded list of people who need support and protection; these are people who help in the overall management, creating awareness and dissemination of information. I would urge the Health minister to set up immediately a national task force for

[श्री आनन्द शर्मा]

consultations with stakeholders in the States and with institutions including our scientific community, medical fraternity for a comprehensive review and amendment of the Epidemic Diseases Act, so that it is contemporary and factors in the lessons that we have learnt from the management of this pandemic. As I have said, it was impossible for any country, any Government and any society to have anticipated the arrival of this pandemic. What is equally important is that given the federal structure of the country, the States which play a prominent role are included as major stakeholders in the consultation process. The plans and policies which have been framed now, the various circulars which have been issued under the NDM Act to meet the current challenges thrown by the pandemic under ever-evolving and dynamic circumstances, in my view, these should be the basis for the country's overall approach towards future pandemic management. I would also suggest the strengthening of the epidemiological surveillance requirements in urban areas, rural areas and also the strengthening of the public health infrastructure. We know that we have ramped up the testing capacities of the country and today we have more than 1,321 laboratories but we should have a standardisation and institutionalisation of protocols required to deal with a pandemic or an epidemic. And both should be very clearly defined, and there should be the protocols put in place not only nationally but also every State Headquarters, every District Headquarters, every Sub-Divisional Headquarters and Block Headquarters in the country should have that standardized protocols and response systems.

Also, we should look at how we can further expand our capacities for surveillance purposes and to check for the containment, for early detection, to check the spread and also for effective response system. This is an evolving situation as we do not know how it pans out in the coming weeks and months. Given the fact, Hon. Deputy Chairman, Sir, that in Europe, already the second wave has started and it is feared that in America too. So, in the first wave and the second wave, actually there is no gap. I hope that the hon. Minister considers this suggestion because only a piecemeal small amendment, which we are supporting, may not be adequate, and a comprehensive review and a new Act will be required after the experience of the Covid-19 Pandemic. Thank you, Sir.

श्री उपसभापति: माननीय सदस्यगण, माननीय चेयरमैन साहब ने भी कहा है कि बोलते समय कृपया मास्क लगाएँ। मेरा सबसे आग्रह है कि बोलते समय कृपया मास्क लगाएँ।

श्री आनन्द शर्मा: सर, मेरे पास मास्क है।

श्री उपसभापति: आनन्द जी, यह ठीक है कि आपके पास मास्क है, लेकिन आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, जब आप बोलते हैं, तो बाहर लोग देखते हैं और हम लोग किस तरह बोल रहे हैं, उसका असर जाता है।

SHRI ANAND SHARMA: This creates a safe zone.

श्री उपसभापति: मैं यह जानता हूँ कि आप हेल्थ के बारे में बहुत conscious हैं, सारा ध्यान रखते हैं, पर बाहर क्या मैसेज जाए, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसा माननीय चेयरमैन साहब ने कहा है, हमें उसका ध्यान रखना है।

माननीय सदस्यगण, मैं माननीय मंत्री जी को जवाब के लिए आग्रह करूँ, उसके पहले दो चीजें कहना चाहता हूँ। एक तो आप जानते हैं कि किन हालातों में हम सब मिल रहे हैं और दूसरे हाउस को भी मिलना है, उसके पहले sanitization के लिए वक्त चाहिए। बहस में सबका सहयोग मिला, इसके लिए मैं सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। हम पहले खत्म कर सकें, यह हमारे लिए एक सीमा है।

दूसरी बात यह है कि नियमत: बहस शुरू होने के पहले सामान्य दिनों में आधे घंटे पहले नाम आना चाहिए, लेकिन यह परंपरा हो गई है कि बहस खत्म होने वाली है, तब नाम आ रहे हैं। इस संबंध में चेयरमैन साहब का instruction है कि ऐसे आने वाले नामों को कम से कम इन हालातों में, चूँकि मजबूरी है, इसलिए हम जगह नहीं दे पा रहे हैं। नियमत: बहस शुरू होने के पहले जो नाम आएँगे, उनको include किया जाएगा, इसलिए आग्रह है कि कृपया आप बहस शुरू होने से पहले नाम भेज दें।

Mover is Binoy Viswamji. आप कुछ कहना चाहेंगे? आप इस विषय पर पहले बोल चुके हैं। आप एक मिनट में अपनी बात कहें।

SHRI BINOY VISWAM: Sir, I believe that the hon. Minister will respond to my questions; and after that, kindly give me one minute.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. You speak. Then he will ...

SHRI BINOY VISWAM: At this stage, I don't want to make a speech.

श्री उपसभापति: माननीय मंत्री जी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री; तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (डा. हर्ष वर्धन): उपसभापति महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ और अपनी बात को इस बात से शुरू करना चाहता हूँ कि जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि Epidemics

[डा. हर्ष वर्धन]

Act में अप्रैल महीने में जो एमेंडमेंट लाया गया, वह देश में एक विशेष किस्म की जो विषम परिस्थिति कोविड के संदर्भ में पैदा हुई थी, उस संदर्भ में इस एक्ट के अमेंडमेंट को ऑर्डिनेंस के रूप में लाया गया था। अब उसको संसद की जानकारी में लाया जा रहा है। यहाँ पर जो बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं तथा बहुत सारी और जो चीजें होनी चाहिए... में सिर्फ जानकारी के लिए दो बातें कहना चाहता हूँ। बहुत सारे विषय national biological emergency से जुड़े हुए संदर्भ हैं, वे National Disaster Management Act के तहत IPC 269, 270, 271 के तहत और Cr.P.C. 144 के तहत भी कवर होते हैं। इसके साथ-साथ इस सदन को, अभी जैसा आनन्द शर्मा जी, जो अंतिम वक्ता थे, उन्होंने कहा, मैं सूचित करना चाहता हूँ कि पिछले लगभग तीन-चार वर्षों से लगातार हमारी सरकार ये सारे जो biological emergency से जुड़े हुए विषय, epidemic हो, pandemic हो, इस संदर्भ में जितने भी विषय उठ सकते हैं और जिनके बारे में एक संपूर्ण, comprehensive, all-inclusive approach होनी चाहिए... इस संदर्भ में सरकार एक नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्ट पर ऑलरेडी काम कर रही है। इस विषय में, हमारा पिछले तीन-चार साल से लेकर अभी तक का जो अनुभव है, उसे भी थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि उसके संदर्भ में, उसके बहुत सारे प्रोविजंस के बारे में यहाँ पर कहा गया। अभी आनन्द शर्मा जी ने नेशनल टास्क फोर्स, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स, एक्सपर्ट्स के साथ consultative process के बारे में कहा; वह सब कुछ उसमें हुआ है, हो रहा है। लेकिन जो लॉ डिपार्टमेंट है, उसने हमें बड़े specific opinions दिए हैं कि इसमें सभी स्टेट्स के हर प्रकार के सुझाव incorporated होने चाहिए। शुरुआती एक-दो वर्षों में हमारे बहुत से प्रयासों के बावजूद भी हमें केवल चार स्टेट्स, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा और हिमाचल प्रदेश से सुझाव प्राप्त हो पाए। अभी कोविड के समय में इस अमेंडमेंट को लाने के साथ-साथ जब हमने उस विषय को भी simultaneously, aggressively pursue किया, तो हमें लगभग दस और स्टेट्स के सुझाव प्राप्त हुए। अभी हमारे पास 14 स्टेट्स का जो नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्ट है, उसको देश के सामने प्रस्तुत करने के संदर्भ में already हमारा involvement है। सर, मैं सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि जो सभी संबंधित विषय हैं, जो शायद Epidemic's Act या National Disaster Management Act में न कवर होते हों, उन सभी के बारे में हम एक comprehensive तरीके से नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्ट पर बहुत proactively, aggressively काम कर रहे हैं और जैसे ही वह तैयार हो जाएगा, निश्चित रूप से उसे सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। आनन्द शर्मा जी ने अंत में जो सुझाव दिया; मैंने उस दिन जब कोविड की डिबेट पर जवाब दिया था, तब भी बताया था कि आने वाले समय में जो हमारी 'प्रधान मंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना' है, जिसका मैंने अपनी स्टेटमेंट में भी जिक्र किया था और उसके लिए 65,000 करोड़ रुपए किस प्रकार से, किन-किन चीजों पर व्यय होंगे, इस योजना का भी उल्लेख किया था। उसके अंतर्गत पूरे देश में community surveillance से लेकर जितने भी surveillance के parameters हैं, जैसे आईडीएसपी को strengthen करना है, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर infectious diseases के हॉस्पिटल्स हैं, ब्लॉक

लेवल पर laboratories हैं, इससे जुड़े हुए जितने भी विषय हैं और इसके साथ-साथ जो इससे रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स हैं, लैब्स के expansion के बारे में और दूसरी चीजों के बारे में...

श्री उपसभापति: माननीय मंत्री जी, आग्रह है कि कृपया briefly बोलें। कृपया conclude करें।

डा. हर्ष वर्धन: सर, सभी सदस्यों ने दो गंटे बोला है। मुझे आप कम से कम पाँच-दस मिनट तो दीजिए।

श्री उपसभापति: आप जानते हैं कि दूसरा सदन भी चलना है।

डा. हर्ष वर्धन: सर, ठीक है।

सर, यहाँ पर बहुत सारी चीजों के बारे में कहा गया है; प्राइवेट हॉस्पिटल्स के चार्जिज इत्यादि के बारे में मैं कहा गया। मैं बताना चाहता हूँ कि शायद भारत सरकार ने ही इसके बारे में आगे बढ़कर सभी स्टेट्स को गाइड लाइन्स भी इश्यू की हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ मीटिंग्स भी की हैं और जो चार्जिज हैं, चाहे वे laboratories के हों, दूसरी चीजों के हों, उन सबको rationalize करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को भी सभी प्रकार के सपोर्ट सिस्टम दिए हैं। कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसमें positive काम भी किया है। कई लोगों ने आयुष्मान भारत योजना और सीजीएचएस के रेट्स के साथ अपने रेट्स को synchronize किया है। ड्रग्स, वैक्सीन, पीपीईज़ के ओवर-चार्जिंग के बारे में, ब्लैक मार्केटिंग के बारे में समय-समय पर यह बताया गया है कि ड्रग कंट्रोलर ने किस प्रकार से स्टेट के ड्रग कंट्रोलर्स के साथ मिलकर इस विषय पर कितनी सख्ती से एक्शंस लेने के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। सभी ड्रग कंपनीज़ को वेबसाइट पर सारी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। आप जानते हैं कि मुम्बई, सूरत में जो कुछ लोग इस ब्लैक मार्केटिंग वगैरह में involved थे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हुई है। जो drug manufacturing units हैं, उनकी auditing भी हुई है, inspection भी हुआ है। इन सब चीजों की लगातार मॉनिटरिंग के लिए हेल्प लाइन इत्यादि भी बनाई गई है। ऐसा कोई विषय नहीं है, जिसको हमने छोड़ा है। आशा वर्कर्स के बारे में भी कहा गया।

श्री उपसभापति: माननीय मंत्री जी, प्लीज़।

डा. हर्ष वर्धन: आशा वर्कर्स ऑलरेडी इन सबके अंदर हैं। सर, डेड बॉडीज़ के बारे में भी गाइडलाइन्स इश्यू की गई हैं। जो अतिरिक्त वेतन इत्यादि के बारे में कहा गया है, तो स्टेट्स को National Disaster Management के अंतर्गत भी और हमारा जो National Health Mission है, उसके अंतर्गत भी उनको सैलेरीज़ देने के लिए पर्याप्त मात्रा में फंड्स दिए गए हैं और बहुत सारी स्टेट्स ने हमें उसकी compliance भी दी है। PPEs इत्यादि, जिसके बारे में अभी भी लोगों ने चर्चा की है, तो मैंने उस दिन भी अपने जवाब में कहा था कि हमने PPEs, वेंटिलेटर्स, एन-95 मास्क इतनी मात्रा में स्टेट्स को दिए हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, जिनके पास रिसीव कर उनको रखने के लिए स्थान नहीं है। सर, जो मेडन स्पीच दी गई, उसके संदर्भ में मुझे इतना ही कहना है कि...

श्री उपसभापति: माननीय मंत्री जी, समय का ध्यान रखिए, प्लीज़।

डा. हर्ष वर्धन: सर, सिर्फ पाँच मिनट और दीजिए। मुझे मेडन स्पीच के बारे में केवल इतना कहना है कि प्रधान मंत्री जी ने विषम परिस्थितियों के बावजूद किस प्रकार से "आत्मनिर्भर भारत", "प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना" और स्वास्थ्य के लिए अन्य योजनाएँ, जिनका मैंने बहुत विस्तार से उस दिन उल्लेख किया था, वे सारी की सारी प्रस्तुत की हैं। एक राष्ट्रीय नेता के ट्वीट के साथ-साथ उस स्पीच में अगर इस देश को यह भी बताया जाता कि पिछले नौ महीने में कोरोना वॉरियर्स के लिए अस्पतालों के अंदर विजिट करके, दूसरे स्थानों पर कोरोना को देश में कंट्रोल करने के लिए हमारे राष्ट्रीय नेता ने क्या-क्या किया, तो मुझे लगता है कि वह शायद ज्यादा प्रासंगिक होता।

श्री उपसभापति: माननीय मंत्री जी, अब आप प्लीज़ खत्म करें।

डा. हर्ष वर्धन: सर, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, जो यहाँ पर कही गई हैं, जिनके बारे में मैं समझता हूँ कि उनका जवाब मैंने...

श्री उपसभापति: माननीय मंत्री जी, आप प्लीज़ खत्म करें।

डा. हर्ष वर्धन: ठीक है, सर। आप चाहते हैं कि मैं ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: मैं नहीं चाहता हूँ, यह आप भी जानते हैं।

डा. हर्ष वर्धन: ठीक है, सर। एक अंतिम बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं 14 अगस्त को All India Institute के एक कार्यक्रम में गया था। वहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने Blood Donation Camp organize किया था। जब मैं वहाँ गया, तो उन्होंने मुझे एक तस्वीर के सामने ले जाकर खड़ा किया और माइक दिया। उस तस्वीर पर भारत का नक्शा था और हर स्टेट के अंदर जो-जो कोरोना वॉरियर्स, चाहे वे डॉक्टर्स थे, चाहे वे नर्सों थीं, चाहे वे स्वास्थ्य से जुड़े हुए दूसरे कर्मचारी थे, उनकी तस्वीर के साथ, उनको पूरे देश के नक्शे के ऊपर लगाया था। मेरी आँखों में आँसू डबडबाने लगे, वातावरण बहुत इमोशनल हो गया और दोस्तो, उन्होंने ऐसे 45 लोगों की तस्वीरें हमें दिखाई। यहाँ पर यह सवाल रखा गया है कि इनकी संख्या के बारे में सरकार के पास कोई जानकारी है या नहीं?

श्री उपसभापति: माननीय मंत्री जी, प्लीज़।

डा. हर्ष वर्धन: हम जानते हैं कि सारे देश में इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हर रोज पैदा हो रही है। इसके आँकड़े स्टेट्स के पास होते हैं और स्टेट हमें जो कुछ भी जानकारी देता है-- किसी भी समय पर, मान लीजिए, अगर हम मुँह से exact number नहीं बोल रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार इस विषय के लिए संवेदनशील नहीं है।

श्री उपसभापति: मंत्री जी, लोक सभा को बैठने के लिए पूरा सदन फिर सैनिटाइज़ होना है, कृपया कन्क्लूड करें।

डा. हर्ष वर्धन: सर, मैं समझता हूँ कि प्रधान मंत्री मोदी जी की सरकार से ज्यादा इस विषय पर कोई संवेदनशील हो सकता है। इसलिए इस संवेदनशील ऐक्ट के अमेंडमेंट के बारे में मैं चाहता हूँ कि सब लोग इसको पारित करें।

श्री उपसभापति: धन्यवाद, माननीय मंत्री जी। I shall first put the Statutory Resolution moved by Shri Binoy Viswam to vote. ...(Interruptions)...

SHRI BINOY VISWAM: Sir, one minute... ...(Interruptions)...

श्री उपसभापति: नियमत: आपको पहले बोलना चाहिए था। मैंने आपको मौका दिया, लेकिन आपने नहीं बोला।

SHRI BINOY VISWAM: Sir, I will take only one minute. ...(Interruptions)..

श्री उपसभापति: मैंने मौका दिया था। Okay. Speak for one minute. ...(Interruptions)... I have already requested you. ...(Interruptions)...

SHRI BINOY VISWAM: Sir, I will take only one minute. Sir, I expect the Minister to tell, at least, at this point, the exact number of health workers died in the country. Even at this moment, the Government fails to state that. It was for my question that the Government replied five days back that there are no figures available with the Government. So, please, at this moment, correct it. The second point is regarding ASHA workers. You told about tears for ASHA workers. They do not need only tears but also something in action. Please try to help them.

श्री उपसभापति: माननीय बिनोय विस्वम जी, याद रखें, मैंने आपको मौका दिया था। माननीय मिनिस्टर के पहले आपको बोलना है, आपने नहीं बोला था। आप कृपया ध्यान रखें।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, I shall first put the Statutory Resolution moved by Shri Binoy Viswam and Shri K.C. Venugopal to vote. The question is:

"That this House disapproves the Epidemic Diseases (Amendment) Ordinance, 2020 (No.5 of 2020) promulgated by the President of India on 22nd April, 2020."

The motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now take up the motion moved by Dr. Harsh Vardhan for consideration of the Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2020. The question is:

[Mr. Deputy Chairman]

That the Bill further to amend the Epidemic Diseases Act, 1897, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 3, there are seven Amendments, Amendments (Nos.1 to 3) by Shri K.C. Venugopal and Amendments (Nos.6 to 9) by Shri Binoy Viswam. Shri K.C. Venugopal is not present. Shri Binoy Viswam, are you moving the Amendments?

Clause3 - Insertion of New Section 1A - Definitions

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Sir, I move:

- (6) That at page 2, line 4 *for* the words "a healthcare service personnel", the words "any healthcare service personnel" be *substituted*.
- (7) That at page 2, line 7, for the words "preventing him from discharging his duties", the words "preventing them from discharging their duties" be *substituted*.
- (8) That at page 2, line 16, *for* the words "a person who while carrying out his", the words "any person who while carrying out their" be *substituted*.
- (9) That at page 2, line 21, *after* the words "paramedical worker", the words "medical and other social workers, hospital/clinical support staff including Class IV workers, safai *karamcharis*, aayahs" be *inserted*.

The question was put and the motion was negated.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 4 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 5, there is one Amendment (No.4) by Shri K.C. Venugopal. He is not present.

Clause 5 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 6, there is one Amendment (No.5) by Shri K.C. Venugopal. He is not present.

Clause 6 was added to the Bill.

Clauses 7 and 8 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Dr. Harsh Vardhan to move that the Bill be passed.

DR. HARSH VARDHAN: Sir, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

***SPECIAL MENTIONS — Contd.**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up rest of the Special Mentions. कृपया आप सब्जेक्ट का टाइटल पढ़ें और lay करें।

**Demand to exempt poor students from payment of school fees during
Corona pandemic**

डा. अशोक बाजपेयी (उत्तर प्रदेश): महोदय, कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के चलते सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। भारत जैसे विकासशील देश में, जहां निम्न तथा सामान्य आय वर्ग के लोगों की बड़ी संख्या है, इसके चलते इस महामारी में सबसे ज्यादा यह वर्ग ही प्रभावित हुआ है। निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की नौकरियां छिन गयी हैं, व्यापार तथा उद्योग प्रभावित हुए हैं। रोज़ परिश्रम करके परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाला वर्ग सबसे ज्यादा संकट में है। यह संकट भविष्य में कब तक रहेगा, इसका भी पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। इस आय वर्ग के बच्चे, जो सरकारी और निजी क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करते थे, उनके सामने घोर संकट उत्पन्न हुआ है। निजी क्षेत्र के विद्यालय कोरोना काल की फीस जमा करने का दबाव छात्रों के अभिभावकों पर डाल रहे हैं, लेकिन अभिभावकों की आय का कोई साधन नहीं है जिससे वे बच्चों की फीस अदा कर उनका पंजीकरण सुरक्षित रख सकें।

* Laid on the Table.